फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

हेतुदान पुत्र किशनदान जाति-चारण, निवासी- रतनुओं की ढाणी भीयांड तहसील शिव, बाड़मेर हाल - तखतगढ़, तहसील- सुमेरपुर जिला- पाली (वगैरा-5) बनाम भाखरदान पुत्र खेतदान जाति-चारण निवासी- रतनुओं की ढाणी, भीयांड तहसील- शिव, जिला- बाड़मेर (वगैरा-3)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अधि. मुकदमा नम्बर 127 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री NSS ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/09/2020 को पेश हो।	
30/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यो में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 4/12/20 को पेश हो।	
4/12/20	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यो में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 8/2/21 को पेश हो।	
8/2/21	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यो में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 10/3/21 को पेश हो।	प्रतिवादी नं. 2 की ओर से अर्जी [illegible] 8/2/2021
10.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा तामिलशुदा नोटिस/डिलेवरी कंफर्म रिपोर्ट पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ब्रजमोहन	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.25	पत्रावली पेश। वाकुलात उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये वकील 07 R11 का प्रार्थना पत्र पेश। वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर पीठे बहस का निवेदन करने पर 07 R11 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते 07 R11 के प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु दिनांक 16.06.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
16.6.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.6.25 को पेश हो।	
23.6.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 31.7.25 को पेश हो।	
31.07.25	पत्रावली पेश। वाकुलात उपस्थित। पत्रावली वास्ते 07R11 के प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु दिनांक 28.08.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
28.08.25	पत्रावली पेश। वाकुलात उपस्थित। 07R11 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की पुनः बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा पूर्व में 55 वर्ष पूर्व सहमति बंटवारा हुआ, जिसमें वादीगण के पिता द्वारा व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया, जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई। वादीगण के कथित सहमति बंटवारा से सहमत थे। वर्तमान में वादीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बंटवारा की तरमीम सही नहीं होने का कथन करते हुए वाद पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। सहमति बंटवारा की अपील सक्षम न्यायालय में की जाकर चाराजोई की जा सकती है। इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त सहमति बंटवारे की भूमि का बेचान होने से नवीन क्रेता खातेदार भी काबिज हो चुके है। उक्त नवीन क्रेता खातेदारान की रजिस्ट्री को चेलेंज सक्षम न्यायालय में किया जा सकता है तथा रजिस्ट्री खारिज होने तक यह वाद चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पूर्व में तत्कालीन द्वारा आपसी सहमति बंटवारा अनुसार ही तरमीम अंकित होने से वादीगण पुनः घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है तथा सिविल कोर्ट से रजिस्ट्री निरस्त होने तक वादीगण का वाद विधि से बाधित होने तथा चलने योग्य नहीं होने से 07 R11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज फरमाया जावे। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वाद न्यायालय में [illegible] का अमलदरामद होने [illegible] बाबत पेश किया गया [illegible] है। पूर्व में आपसी सहमति से उक्त [illegible] आराजी का बंटवारा हुआ था, जिसका अमलदरामद गलत होने से वादीगण द्वारा सही तरमीम व

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अमल दरामद करवाने हेतु वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अपने हिस्से से अधिक भूमि का हस्तांतरण किया गया, जो प्रारम्भतः शून्य है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा मात्र उक्त वाद को लम्बा करने तथा वादीगण को खर्चे से जेरबार करने हेतु 07 R 11 का प्रार्थना पत्र पेश करने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।	
	हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण बंटवारा का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त बंटवारा पक्षकारान् की आपसी सहमति से किया गया है, जिसके दस्तावेज वाद के संलग्न है। साथ ही वादीगण द्वारा अनुतोष के बिन्दु संख्या 2 में भूमि हस्तांतरण को शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। अतः उक्त वाद में वादीगण द्वारा पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बंटवारे के विरुद्ध तरमीम दुरस्त करने का वाद चलने योग्य नहीं होने से 07 R 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।	
	पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested